भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
केन्द्रीय पर्यावरण भवन
'' Kendriya Paryavaran Bhavan''
लिंक रोड नं.3/Link Road No.3
E-5, रविशंकर नगर /Ravishankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/**Bhopal-462016 (M.P.)**
दूरभाष /Phone: 2466525,2465496, 2465054
फैक्स /Fax: 0755-2463102
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक: 6-MPB049/2005-BHO/ 2554 दि॰ 26-12-2005,

4975
27-

प्रति,

प्रधान सचिव(वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: देवास वनमण्डल के नागदा परिक्षेत्र में 2.79 हे0 वनभूमि विण्ड फार्म हेतु इनरकान इण्डिया लिमि0 को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-MPB049/2005-BHO/866 दिनांक 04/05/2005 ।
2. मु0व0सं0(भू-प्रबंध),म0प्र0का पत्रांक एफ-4/16/03/2004/10-11/विद्युत/2923 दिनांक 17/11/2005

महोदय,

कृपया मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबन्ध)एवं नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4/16/03/2004/10-11/विद्युत/770 दिनांक 01.04.2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अंनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से देवास वनमण्डल के नागदा परिक्षेत्र में 2.79 हे0 वनभूमि विण्ड फार्म हेतु इनरकान इण्डिया लिमि0 को उपयोग पर प्रत्यावर्तन वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर खसरा नं0 952, ग्राम-नांदेल, तहसील-टॉकखुर्द, जिला-देवास में 2.79 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
ब) इस गैरवनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 अथवा 29 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

26/12/05

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर का पुनरीक्षण(Revision) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है । उपयोगकर्ता अभिकरण से इस आशय का एक वचनपत्र(Undertaking) लिया जाए कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर के उर्ध्वगामी/उर्ध्वमुखी (Upward) पुनरीक्षण की स्थिति में, उसे उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4. (i) The Vane tips of the wind turbine shall be painted with orange colour to avoid bird hits.

(ii) The lease period initially shall be for a period of 30 years. The forest land will first be leased in favour of the developers and within a period of 4 years of Stage-II approval, the lease shall be transferred in the name of investors/power producers. In case the developers fail to develop wind farms, the land shall be reverted back to Forest Depratment without any compensation. The transfer of lease shall have the same meaning as mentioned in para 2.8 of General Guidelines issued under Forest (Conservation) Act for transfer of lease to the new user agency (i.e. investors/power producers) in the already diverted forest area in favour of the developers, the State Government shall have to submit formal proposed for prior approval to the Central Government under Forest (Conservation) Act. No sub-leasing of forest land is permissible under the Act.

(iii) Around 65% to 70% lease out areas in the wind farms shall be utilized for developing medicinal plant gardens, wherever feasible, by the Forest Department at the cost of the user agency. The State/UT Governments could also take help of National Medicinal Plant Board in properly creating corridors of medicinal plant gardens. The intervening areas between two wind mills footprints should also be planted up by dwaf species of trees at the project cost.

(iv) Soil & Moisture conservation measures like contour trenching shall be taken up on the hillocks supporting the wind mill

(v) The alignment of roads shall be done by a recognized firm and got approved by the Divisional Forest Officer concerned. Further, the transmission lines from the wind farms to the grid as far as possible should also be aligned collaterally along the roads.

(vi) The wind turbines/wind mills to be used on forest land shall be approved for use in the country by the Ministry of Non-Conventional Engergy Sources, Govt. of India.

5. यदि सडक पर डामरीकरण करना है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, देवास, मध्यप्रदेश ।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर इनकान इण्डिया लिमि0, बी–58–2, सेकेण्ड फ्लोर, कस्तरबा नगर, भोपाल ।
5. आदेश पत्रावली ।

(सुजॉय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)